



बिहार राज्य

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

९ दैश १०२९ (७०)
(७० पट्टा २७९)

पट्टा, शुक्रवार, ३० मार्च, २००७

विधि विभाग

अधिसूचना

३० मार्च, २००७

सं० एल० जी०-१-१५। २००७-लेज-९५ बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित
निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक ३० मार्च २००७ को अनुमति दे चुके हैं।
इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सजंदेर कुनार,
सरकार द्वे विशेष सदिद ।

अध्यय ।

प्रारम्भिक :

[बिहार अधिनियम 7, 2007]

बिहार पुलिस अधिनियम, 2007

प्रस्तावना । - यह कि, व्यक्तियों के मानव अधिकारों का संवर्धन और उनके प्रति आदर तथा उनके सिंचित, राजनीतिक, सामाजिक, आधिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण करना, कानून का प्रथम दोषित है;

और, यह, कि, राज्य का यह संवेधानिक दोषित है कि वह अन्यसंघर्षों द्वारा समाज के कमज़ोर लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए निष्पक्ष और सकान पुलिस सेवा उपलब्ध कराए और नागरियों की प्रजातात्त्विक धारनाओं का आदर करें;

और, यह, कि, ऐसे व्याख्यान के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस कार्यक चेतावर रूप से संगठित, सेवा उन्मुखी, बाहरी प्रभावों से भूत और कानून के प्रति जवाबदेह हों;

और, यह, कि, पुलिस और राज्य की सुरक्षा के समक्ष उभरती हुई चुनौतियों, सुशासन के प्रबन्धों और मानव अधिकारों के प्रति आदर को दृष्टिगत रूप से बढ़ावी, बाहरी प्रभावों से भूत और उत्तरदायित्वों की पुनः व्याख्या करना आवश्यक है;

और, यह, कि, पुलिस को समुचित रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है ताकि यह एक कार्यकुशल, प्रभावी, लोगों के अनुकूल और उत्तरदायी एजेन्सी के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके;

अतः अब इस उद्देश्य के लिए, पुलिस सेवा की स्थापना और प्रबन्धन के सम्बन्ध में एक नया कानून अधिनियमित किया जाना आवश्यक था। भारत सरकार ने वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. संविधान नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । -

- (क) यह अधिनियम बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 कहा जा सकता है।
- (ख) यह उस तारीख को लागू होना जो कि सरकार अधिनियम द्वारा नियत करे।
- (ग) इसका विस्तार लागू किया जाना ने देता है।

2. परिभाषाएँ । -

- (1) इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "उपायिनियम" का तात्पर्य विधार पुलिस अधिनियम, 2007 है;
- (2) "पश्च" में सोन वाले पश्च के अलावा लाठी, डंड, घोड़ा, गधा, छच्चा, भेड़, बकरी और सूअर शामिल हैं;
- (3) विदेश में जनसंख्या के किसी समूह या वर्ग द्वारा, भारत के इसी सूचीगां को अलग करने सहित किसी राजनीतिक उद्देश्य से, राज्य के विरुद्ध किया गया सशक्त संरप्त शामिल है;
- (4) "आतंकिक सुरक्षा" का तात्पर्य, राज्य के भीतर विधानकारी और राज्य-विरोधी ताक्तों से राज्य की संप्रभुता और एकता का संरक्षण है;
- (5) उपायादी गतिविधियों में किसी समूह द्वारा, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विस्तोटनों, ज्वलनशील पदार्थों, आमेय शस्त्रों या अन्य पातक हथियारों या खतरनाक पदार्थों का प्रयोग करते हुए की जाने वाली हितक कारबाई शामिल है;
- (6) "संगठित अपराधों" में, व्यक्तियों के किसी समूह या नेतृत्वक द्वारा नियन्त्री लाभ लेने के आजाद से हिंसा तरीकों या थमकी या हिंसा का प्रयोग करते हुए किया गया पोई अपराध शामिल है;
- (7) "आतंकवादी गतिविधियों" में किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा, समाज या समाज के किसी वर्ग में आतंक फैलाने और विधि-सम्पत्त सरकार को उत्तराने के उद्देश्य से, विस्तोटनों या ज्वलनशील पदार्थों या आमेय शस्त्रों या अन्य पातक हथियारों या लगिकारक नैटों या अन्य रसायनों अथवा अन्य किसी प्रकार के खतरनाक पदार्थों का प्रयोग करते हुए की जाने वाली कारबाई शामिल है;

- (ज) "साइबर अपराध" में शामिल है सुधना वीडियोग्राफी आवारप्ट डिव्हिड से संबंधित आपराधिक विषयकालाप, गैरकानूनी पहुंच (अप्राप्यकृत पहुंच) गैरकानूनी अवधेय (तकनीकि माध्यम से कम्प्यूटर प्रणाली को, उससे या दराएँ भीतर अंकिते कर गए सार्वजनिक देश), उसके बाहर इत्तेजप (कम्प्यूटर उद्योग का अप्राप्यकृत क्षमता, विसेपन, डाइर, परिवर्तन, विषयाना), प्रणाली में इत्तेजप (कम्प्यूटर अंकिते डालने, ऐप्प, डाइर, विसेपन, डाइर, पूर्ववर्तन या विषय को विषय ढारा कम्प्यूटर प्रणाली के बावजूद इत्तेजप) उपकारणों का दुरव्यवहार, वीआयडी (अर्द्ध डी की ओरी) और इलेक्ट्रोनिक कापड़।

(म) "वीडियो अपराध" से तात्पर्य है किसी अपराध में सॉलिचा जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रॉडकास्ट, ड्रम्स या राज्य के विस्तृत छोई अपराध में शामिल है या इससे संबंधित ऐसे अपराध जिसमें 3 साल या उससे अधिक वर्ष सजा विद्युत है;

(ञ) "सरकार" से तात्पर्य है विवाह राज्य सरकार;

(ट) "मुख्य सचिव" से तात्पर्य है सरकार के मुख्य सचिव;

(ठ) सार्वजनिक आमोद स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल वा आशय ऐसे स्थल हों हैं जहाँ जनता आमोद मनोरंजन स्थल में शुल्क राखित या विना शुल्क के प्रयोग कर सकती है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

 1. विनेना
 2. विषेटर
 3. विषाह स्थल
 4. एडियम इत्यादि

(इ) "पुलिस जिला" से तात्पर्य इस अधिनियम के अध्याय II के खण्ड 7 के तहत अधिरूपित छोई गए भूभाग से है जो राजस्व जिला से विच्छिन्न है;

(ट) "पुलिस अधिकारी" से तात्पर्य इस अधिनियम के तहत गठित विवाह पुलिस रेता के किसी सदस्य से है;

(ঞ) सार्वजनिक स्थल वा आशय ऐसे स्थल हों जहाँ जनता प्रयोग कर सकती है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

 - (i) छोई सार्वजनिक इमारत तथा स्मारक भवन और उसकी प्रसीमाएँ; और
 - (ii) छोई भी ऐसा स्थान जो जनता को पानी प्राप्त करने, खेल या स्नान करने अथवा मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए सुनाम हो;

(ঠ) "विनियमनों" वा आशय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों से हैं;

- (८) "गियरों" का आक्षय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से है;

(९) "मजिस्ट्रेट" से तात्पर्य ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट से होगा जिसा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पारिवर्तित है।

(१०) "गिला मजिस्ट्रेट" से तात्पर्य होगा सरकार द्वारा एक या एक से अधिक जिसी के लिए नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट।

(११) "अनुबंधल मजिस्ट्रेट" इन्होंने से तात्पर्य होगा सरकार द्वारा एक या एक से अधिक अनुबंधसत्र के लिए नियुक्त अनुबंधल अधिकारी।

(१२) "गिला पुलिस अधीकारक" मेरे शामिल होना रेल जिला संहित किसी जिला में इस अधिनियम के अधीन जिला पुलिस अधीकारक के सभी या किसी कार्यालय के नियावन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई सदायक जिला उचितात्मक या छोई यापित।

(१३) "सम्पत्ति" मेरे योई चतुर्थ, अदल सम्पत्ति वैक खाता, किसी प्रकार का नियेता या बहुमूल्य प्रतिशूलि शासित होती।

(१४) "जिला" रो तात्पर्य है रियल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत जिला के रूप में अधिसूचित राजव्य भू-भाग।

(१५) "अधीकारण की शक्ति" से तात्पर्य है और इसके अन्तर्गत अनुसंधान से संबंधित सभी कार्यपालक और प्रशारानिक मामलों में नियंत्रण, मानविकीय और हिदायत देने की शक्ति शायद है तथा इसके अन्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 1974 का 2) के उपर्योग के तहत जीति प्रदल जिसी प्रतिक्रियाएँ द्वारा ऐसे मामले में नियंत्रण किसी प्रशारानिक आदेश को नियंत्रण, प्रलटने, भंसूख पुनरीक्षण करने की शक्ति भी शामिल है।

(१६) "पदों" से तात्पर्य होगा और इनमें अधीनस्थ पद और पर्याप्तीय पद शामिल होंगे।

(१७) "पर्याप्तीय पदों" से तात्पर्य होगा उप/सदायक पुलिस अधीकारक और उनसे ऊपर के पद।

(क्रम) "अधीकारण पदों" का आक्षय सदायक पुलिस अधीकारक अधिका पुलिस उप अधीकारक के स्तर से नीचते तार के राइट्सों दे है;

(ख) "नियावन" से तात्पर्य है नियम, आदेश परिपत्र, अधिसूचना आदि के गांधर्म से सरकार द्वारा नियावन;

अध्याय II

पुलिस सेवा का गठन एवं संगठन।

3. राज्य के लिए पुलिस सेवा। -

सरकार के तहत इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण पुलिस संगठन को एक पुलिस सेवा माना जायेगा। पुलिस सेवा के सदर्यों को राज्य में सेवा की विशिष्ट शाखाओं सहित किसी भी शाखा में तैनात किया जा सकेगा।

4. पुलिस सेवा का गठन। -

इस अधिनियम के प्राथमिकों के अध्यायीन:

(1) इस अधिनियम के प्राथमिकों के लिए सरकार के अधीन सम्पूर्ण पुलिस संगठन ये एक पुलिस सेवा माना जायेगा और औपचारिक स्वयं समानांतरित किया जायेगा एवं इसमें ऐसी संबंधों में अधिकारियों एवं कर्मी तथा विशेष प्रयोजन के लिए पुलिस बल जैसे, बिलार सेन्य पुलिस एवं दंगा रोपी मिश्रित बलों की क्रोटियों होंगी जैसा कि दंगा आदी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक समझा जाये और इसका गठन इस रीति से किया जायेगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अंदेश दिया जाय।

(2) पुलिस कर्मियों का वेतन, गति, सेवा और कार्य की शर्तें वैसी ही होंगी जैसा कि नियम/अधिसूचना/आदेश इत्यादि के जरीए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें।

5. महानिदेशक, अपर महानिदेशकों, महानिरीक्षकों, उप एवं सहायक महानिरीक्षकों की नियुक्ति।

(1) सरकार पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेंगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और उसे उत्तरदायित एवं ऐसे प्राधिकार प्राप्त करेंगे जो निर्धारित किये जायेंगे।

(2) सरकार एक अधदा एक से अधिक अपर महानिदेशकों और जितने आवश्यक हों उतने महानिरीक्षकों, उप एवं सहायक महानिरीक्षकों जी नियुक्ति कर सकती है।

6. पुलिस महानिदेशक का घटन एवं कार्यकाल। -

(1) पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति ऐसे अधिकारियों के पैनल से की जाएगी जिसमें पुलिस महानिदेशक के पद पर पहले से कार्यस्त अधिकारी अधदा ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें अधिकल भारतीय सेवा

अधिनियम, 1951 (फिन्डीय अधिनियम, 1951 का 61) के अधीन घनाए गए नियमों के अधीन समिति द्वारा जोध के बाद पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नति के बोग्य पाया गया है।

(2) इस प्रबल नियुक्ति विषय गए पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्षों का होगा:

ऐसिकिं तरकार द्वारा हटाए जाने के कारणों से जो निम्नलिखित हैं, पुलिस महानिदेशक को उसका आपराधिक समान्य होने से पूर्व उसके पद से स्वानांतरित किया जा सकेगा:

(क) उसे किसी दिल अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषस्तिर्द्ध किया गया हो या भ्रष्टाचार अधदा नेत्रिक अधमता के किसी मामले में लित होने के बाले किसी न्यायालय द्वारा उस पर आरोप लगाए गए हो; या

(ख) वह शारीरिक या मानसिक रोगों के कारण या किसी अन्य कारणों से अधम हो और पुलिस महानिदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो; या

(ग) राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति दो कारण अधिकारी द्वारा ऐसी तैनाती के लिए दी गई सहमति के अध्यधीन होगा।

(घ) कोई अन्य प्रशासनिक कारण जो कर्तव्यों के कारण निर्वहन के दित में हो :

7. पुलिस जिले। -

सरकार अधिसूचना के माध्यम से राज्य के भीतर किसी बेत्र को पुलिस जिला घोषित कर सकती है। ऐसे पुलिस जिले का पुलिस प्रशासन जिला भजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण एवं नियंत्रण के तहत पुलिस अधीक्षक में नियुक्त होगा जिसकी सहायता यथावश्यक और अधियुक्त अपर, सहायक या उप अधीक्षकों द्वारा की जाएगी।

8. पुलिस धनी। -

(1) सरकार जनसंस्कार, वेत्र, अपराध की स्थिति, कानून एवं व्यवस्था के रूपान्वय में कार्यभार और निवासियों द्वारा पुलिस धनी में पहुंचने के लिए तथा दी जाने वाली दूरी को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना जारी करके एक पुलिस जिले में यथावश्यक दीक्षितों सहित उतने पुलिस धनी स्थापित कर सकती है, जितने वह आवश्यक समझे।

(2) नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन से एक पुलिस समिति के तहत दो या अधिक पुलिस धनी रखे जा सकते हैं।

(3) पुलिस धनी या प्रमुख 'धाराघात' (स्टेशन हाउस ऑफिसर) होना जो पुलिस अधर नियंत्रक से कम के तार का नहीं होना :

- लेकिन वहे पुलिस थानों को पुलिस नियोक्तक के स्तर के अधिकारियों के पर्योक्षण के तहत रखा जा सकता है।
- (4) पुलिस थाने में तैनात किये जाने थाले पुलिस कार्पोर्कों की संख्या उतनी ही होनी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से सम्बन्ध समय पर निर्धारित की जाए।
 - (5) महिलाओं और बच्चों के प्रति हेने वाले अपराधों की शिकायत दर्ज करने और महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित विशेष विधायकों के प्रशासन से संबंधित कार्यों का निर्वाचन करने के लिए प्रत्येक ज़िले से थाने में एक महिला एवं बाल संरक्षण डॉक्टर स्टाफ छोगा जिसमें, जहाँ तक संभव हो, महिला पुलिस कार्पोर्क की तैनाती की जाएगी।
 - (6) प्रत्येक पुलिस थाना, उच्चतम न्यायालय के विशेषनियों तथा गिरफतारी के बारे में विभागीय आदेशों और गिरफतार किए गए और लोक-जप में रखे गए व्यक्तियों के बीच सहित सार्वजनिक किए जाने के लिए अपेक्षित हर प्रकार की प्रासंगिक जानकारी को स्पष्टतया प्रदर्शित करेगा।
9. अनुसूचित जातियों/जन जातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए थाने। -
- (1) सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए यथोक्ति पुलिस थाने का गठन कर सकती है।
 - (2) ऐसे थानों में दर्ज किए गए मामलों की जांच एक अधिकारी द्वारा की जाएगी जो पुलिस उप अधीक्षक की कोटि से नीचे का नहीं होगा।
10. अधीनस्थ पदों पर स्थानान्तरण एवं तैनाती। -
- (1) नियोक्तक से रिपाडी स्तर के पुलिस अधिकारियों को किसी विशेष पद पर तैनाती जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके अधिकार वेत्र के भीतर ही जायगी। उनका कार्यकाल जिले में 6 वर्ष, रेज में 8 वर्ष और जोन में 10 वर्ष का होगा। रेज के भीतर एक जिला से दूसरे जिले में स्थानान्तरण स्थिति द्वारा किया जायगा जिसमें रेज के पुलिस उपमहानियोक्तक और रेज के जिला पुलिस अधीक्षक होंगे। एक रेज से दूसरे रेज में स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायगा जिसमें जोन के पुलिस महानियोक्तक और जोन के सभी रेजों के पुलिस उपमहानियोक्तक होंगे। एक जोन से दूसरे जोन में स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायगा जिसमें अपर पुलिस महानियोक्तक और जोन के सभी पुलिस महानियोक्तक होंगे।
 - (2) थाने में बानाध्यक्ष (स्टेशन हाउस ऑफिसर) के रूप में तैनात अधिकारी अथवा पुलिस सर्किल या अनुमंडल के प्रभारी अधिकारी या जिला के पुलिस अधीक्षक का कार्यकाल कम से कम 2 वर्षों तक होगा।

लेकिन ऐसे किसी भी अधिकारी को 2 वर्षों या अधिक के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी निम्नलिखित कारणों से अपने पद से स्थानान्तरित किया जा सकता है।

- (क) किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति, या
- (ख) दाङिक अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषस्थित किये जाने या आरोप संघाट जाने, या
- (ग) शारीरिक या मानसिक रैगों के क्षणण अक्षमता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के निर्वाचन में असमर्थता, या
- (घ) प्रान्तिति, स्थानान्तरण या सेवा निवृति के कारण हुई रिवित को भरने की आवश्यकता, या
- (ङ.) अन्य प्रशासनिक कारण जो कर्तव्यों के कारण निर्वाचन के हित में हो।

11. ग्रामीण पुलिस पर जिला पुलिस अधीक्षक का प्रतिकार। -

यह घोषणा करना सरकार के लिए यथि सम्भव होगा कि पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्रामीण पहरेदार या अन्य ग्रामीण पुलिस अधिकारी पर ऐसे किसी प्राधिकार प्रियकार प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है या किसी जा सकता का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

12. जिला प्रशासन। -

- (1) दृढ़ प्रक्रिया संहित, 1973 और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अतिरिक्त जिला नजिकेट के लिए यह आवश्यक होता कि वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में पुलिस के कार्यकरण और जिला प्रशासन की अन्य एजेन्सियों के बीच समन्वय बनाएः
 - (क) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने,
 - (ख) सामाजिक सुरक्षा कानून को लागू करने,
 - (ग) प्राचृतिक आपदाओं को संभालने तथा भूमि सुधार करने,
 - (घ) किसी आन्तरिक आपदापर ऐ उत्तर्न नियति,
 - (ङ.) आवश्यक यस्तुओं की आवृत्ति बनाये रखने को सुनिश्चित करने,
 - (च) कम्पोर एवं नियंत्रण वगों के संरक्षण,
 - (ज) अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार को रोकने,
 - (ज) मानवाधिकारों के संरक्षण, राज्य का विकास परियोजनाओं को पूरा करने, शिक्षायतों आदि का निवारण।
- (2) इस तरह के समन्वय के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिले के पुलिस अधीक्षक से और अन्य विभागों के विभागाधीक्षों से, जब कभी

भी अधिकारी हो, सामान्य या विशेष प्रबलर की जानकारी नाम सकता है। जिला भजिस्ट्रेट, सिथि को देखते हुए समुचित अधिकारी परिवर्तन कर सकता है और लिखित में निर्देश दे सकता है।

- (3) जिला भजिस्ट्रेट या अनुबंधता भजिस्ट्रेट कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अल्पसंख्यकों एवं बहुजोड़ वर्गों की सुरक्षा, निर्वाचन एवं अन्य ऐसी उपेक्षाओं के प्रयोगनों के लिए यथावश्यक पर्याप्त पुलिस थल की तैयारी का आदेश दे सकता। जिला भजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिला के सभी विभाग, जिलावै तहान्वता पुलिस के कारणर कार्यवारण के लिए अपेक्षित है, पुलिस अधीकार की पूरी सामायता करें।

13. रेलवे पुलिस। -

- (1) सरकार, भारतीय राजपथ में अधिकृतना जारी ठरके राज्य के उन रेलवे बोर्डों जो राज्य सरकार विभिन्निक करे, को शामिल करते हुए एक या अधिक विशेष पुलिस बिभाग का सुनिश्चित कर सकती है और ऐसे प्रत्येक विशेष पुलिस बिभाग के लिए एक पुलिस अधीकार, एक या अधिक राजायक और उप पुलिस अधीकार और यथावश्यक संघर्ष में अन्य पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।
- (2) ऐसे पुलिस अधिकारी, पुलिस मालानिरीकरण के विवरण के अध्याधीन, रेल प्रशासन से संबंधित पुलिस कार्यों या नियंत्रण अपने संबंधित कार्यालय की परिधि में करेंगे और राज्य सरकार द्वारा उन्हें समय-समय पर सीधे जाने वाले घटनों का भी नियंत्रण करेंगे।
- (3) कोई भी पुलिस अधिकारी, जिसे राज्य सरकार इस उप-यारा के तहत कार्य करने की शक्ति सामान्य रूप से या विशेष आदेश द्वारा प्रदान करती है, सरकार द्वारा इस प्रयोगन के लिए दिए गए किसी ऐसे जादेश के अध्यधीन, जिसे के लिस्ती पुलिस थाने के प्रभागी अधिकारी के सम्पर्क व्यक्तियों का प्रयोग संबंधित विशेष जिले में या उसके किसी गांग में कर सकता है। इन व्यक्तियों का प्रयोग करते समय वह, उपर उल्लिखित ऐसे किसी आदेश के अध्यधीन होगा, अपने स्वेच्छन की सीमाओं के भीतर किसी पुलिस थाने के प्रभागी अधिकारी की तरफ ही कार्यों का नियंत्रण करेगा।
- (4) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोगन के लिए परिवर्तन किए गए किसी सामान्य या विशेष अधिकारी के अध्यधीन ऐसे पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्यों का नियंत्रण करते समय, इस अधिकारियम या उस समय लानु किसी अन्य कानून के तहत राज्य के प्रत्येक गांग में शक्तियों और

विशेषाधिकार प्राप्त होगी और वह पुलिस अधिकारियों के उत्तरदायित्वे के अध्यधीन होना।

- (5) सरकार की पूर्णानुमति से, पुलिस अधीकार, इस अधिकारियम के द्वारा या अन्तर्गत उसे प्रदान शक्तियों और कार्यों का प्रयोगान्वयन विस्तीर्ण साधायक या उप पुलिस अधीकार को कर सकता है।

14. राज्य असूचना एवं अपराध जांच विभाग। -

- (1) इस अधिकारियम के प्रबलवानों द्वा असूचना-या एकाधीकारण, समावक्षण, विशेषण और आदान-प्रदान करने के लिए एक राज्य असूचना विभाग होगा और अतरराज्य, अन्तर्राजिला और अन्य विभिन्निक अपराधों को जांच करने के लिए एक अपराध जांच विभाग होगा।
- (2) सरकार, पुलिस मालानिरीकरण के सम्बन्ध या उससे उत्कृष्ट स्वर के एक पुलिस अधिकारी को उपर्युक्त विभागों का प्रमुख नियुक्त करेंगे।
- (3) अपराध जांच विभाग में, विभिन्न प्रकार के आपात्यों, जिनकी जांच के लिए व्याप्त केन्द्रित करने वा विशेष प्रबलवानों का आवश्यकता है, से निपटने के लिए विशेष स्वयंसेवक होंगे। प्रत्येक स्वयंसेवक का प्रमुख पुलिस अधीकार स्वार का एक अधिकारी होगा।
- (4) सरकार अपराध जांच विभाग और राज्य असूचना विभाग में सेवा करने के लिए, कार्य रूपी साधा और प्रबलर को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतागुरुसार समुचित संख्या में विभिन्न रैक्टे के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

15. तकनीकी एवं साधायक सेवाएं। -

- (1) सरकार, पुलिस सेवा को कार्यकुरुता बढ़ाने के लिए, पुलिस मालानिरीकरण समय नियन्त्रण के अन्त, साधायक सकूलीक एनांसलों और सेवाओं का यथावश्यक सूचन करती और उनका रख-रखाव करेंगी।
- (2) (क) इस प्रबलर सूचित की जाने वाली सेवाओं में एक राज्य स्तरीय पूर्ण-सुलभित अपराध विभाग प्रबोगशाला, प्रत्येक पुलिस रेज ने लिए एक व्यक्तिय अपराध विभाग प्रबोगशाला और विभागीक मानव शक्ति से युक्तिपूर्ण वह अपराध विभाग इकाई के व्याप्रिकृत सदर्य शामिल है।
- (ख) सरकार पुलिस व्यवस्था के सभी पहुंचों ये विभाग और प्राविधिकी के प्रयोग को प्रस्तुत करेंगे और धड़ने के लिए सभी उपाय करेंगी।

- (3) सरकार, पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए एक या अधिक पुलिस दूरसंचार निदेशकों, जो पुलिस उप महानिरीक्षक से कम के स्तर के नहीं होंगे, की नियुक्ति कर रखती है और उनकी सहायता के लिए व्यावायक संघर्ष में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उप अधीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है।
- (4) इसी प्रकार, सरकार पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए एक या अधिक पुलिस परिवहन निदेशकों, जो पुलिस उप महानिरीक्षक से कम के स्तर के नहीं होंगे, की नियुक्ति कर रखती है और उनकी सहायता के लिए व्यावायक संघर्ष में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उप अधीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है।

16. संचार विभाग । -

सरकार एक पृष्ठक संचार विभाग की स्थापना करेगी जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर नियांरित बोन्ड एवं अनुग्रह प्राप्त अधिकारी एवं कार्यालय होंगे। यह विभाग जेनरेशन, प्रसारण, अधिकारण, संग्रहण और सभी प्रकार के डिजिटल, सनातन एवं अन्य डाटा में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए संचार की सभी आधुनिक सुविधाओं से सुवर्णित होगा।

17. राज्य पुलिस अकादमियों के निदेशकों और पुलिस प्रशिक्षण महानिदेशकों और विद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति । -

(1) सरकार राज्य स्तर पर एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करेगी जो विभिन्न पदों के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के प्रयोजन से आवश्यक है।

18. पुलिस कार्मिक द्वारा सी जाने वाली शपथ या पोषणा । -

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत पुलिस सेवा के प्रत्येक राज्य द्वे नियुक्ति होने पर और प्रशिक्षण पूरा होने पर पुलिस अधीक्षक या पुलिस महानिदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष नियांरित रूप में शपथ लेनी होगी या पोषणा करनी होगी।

19. विशेष पुलिस अधिकारी । -

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे के स्तर या नहीं होगा, किसी भी समय नियुक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के

लिए 18 तो 50 वर्ष के बीच के आमु के भारीरिक रूप से स्वास्थ्य किसी व्यक्ति पो पुलिस बल यी सहायता के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त वरमे के लिए जिला मणिरेट द्वे अवेदन कर रखता है।

(2) इस प्रकार नियुक्त होने पर प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी :

- (a) नियुक्त होने पर नियांरित प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे राज्य सरकार से इस संबंध में अनुमोदित प्रवत में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा; और
- (b) उसे यही शक्तियां, विकेषणाधिकार तथा उन्नुकियां मिलेंगी जो एक राज्यान्य पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती है और उनी वर्तमान एवं उत्तरवाचियों के अधीन और उनी प्रधिकारियों के अधीन होगा जिनके अधीन एक सामान्य पुलिस अधिकारी होता है।

20. व्यक्तियों के सामग्र विवर नियुक्त अधिकारी पुलिस अधिकारी । -

जिला मणिरेट के सामान्य निर्देश के अधीनी पुलिस महानिरीक्षक या उप पुलिस महानिरीक्षक या सहायक पुलिस महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए सामान्य पुलिस जिला के भीतर किसी स्थान पर उतने समय के लिए शांति बनाये रखने के बास्ते किसी व्यक्ति द्वारा अवेदन दिये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों द्वे प्रतिनियुक्त करना विधि-सम्मत होगा, जितना अवधि राज्य का जाय। ऐसा पुलिस बल केवल जिला अधीक्षक के आदेश के तहत और आवेदन करने वाले व्यक्ति के खर्च पर होगा :

लेकिन ऐसे अवित के लिए, जिसके आवेदन पर ऐसी प्रतिनियुक्ति दी गयी हो, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक या सहायक पुलिस महानिरीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक को एक माह की लिखित रूपना देकर यह मान दरना विधि-सम्मत होगा कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त पुलिस

अधिकारियों को दृष्टा लिया जाय और ऐसे अधित को ऐसी सूचना की समाप्ति से ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल के खबर से भुगत कर दिया जायेगा।

21. रेल एवं अन्य समर्थकाताओं के निकट व्यक्तिगत पुलिस बल की नियुक्ति ।-

जब कभी देश के छिसी याग में कोई रेल, नहर या अन्य सार्कज़िग्रेक कार्य अथवा कोई विनिर्माण या वाणिजिक कारबाह जारी रखा जाय या संचालित किया जाय तथा नहानिदेशक वो ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे रथाने में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति ऐसे कार्य, विनिर्माण या कारबाह वो लगे ज्ञानितानी के गलत आचरण या गलत आचरण का समुचित आशका के कारण आवश्यक हो तो सरकार की सठनती से ऐसे रथान पर अतिरिक्त बल को दैनान करना, और ऐसी आवश्यकता अन्नी रहने पर उन्हें नियुक्त करना और इस प्रकार आवश्यक अतिरिक्त बल के भुगतान के लिए ऐसे कार्य, विनिर्माण या कारबाह जारी रखने में प्रयुक्त नियि पर नियंत्रण या अभिरक्षा करने वाले व्यक्ति को समय-समय पर आदेश देना महानिरीक्षक के लिए विधि-सम्मत होना और तत्पश्चात् ऐसा अधित लदगुतार भुगतान करवाएगा।

अध्याय III

पुलिस का अधीक्षण एवं प्रशासन ।

22. राज्य पुलिस अधीक्षण का राज्य सरकार ने निहित होना ।-
- राज्य पुलिस वह समय अधीक्षण एवं नियंत्रण सरकार में निहित होगा ।
23. राज्य पुलिस बोर्ड ।-
- सरकार इस अधिनियम के लागू होने के छह माह के भीतर इस अध्याय के उपर्युक्त के अधीन सौंपे गये कार्यों को नियादन के लिए राज्य पुलिस बोर्ड स्थापित करेगा ।
24. राज्य पुलिस बोर्ड की संरचना । - राज्य पुलिस बोर्ड में निम्नलिखित होगी :
- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| (क) मुख्य सचिव | - | अध्यक्ष |
| (ख) पुलिस नहानिदेशक | - | सदस्य और |
| (ग) गृह विभाग के प्रभारी सचिव | - | सदस्य सचिव |
25. राज्य पुलिस बोर्ड के कार्य ।-
- राज्य पुलिस बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का नियादन करेगा :
- | |
|---|
| (क) विधि के अनुसार पुलिस व्यवस्था को कार्यकुशल, कारगर, रविदनशील एवं जवाबदेह बनाने के लिए व्यापक नीति विषयक दिशा-निर्देश देयार करना, |
| (ख) पुलिस सेवा के कार्यकरण के मूल्यांकन के लिए नियादन सूचक की पहचान करना । इन सूचकों में बातों के साथ-साथ ये शामिल होंगे : |
- पुलिस अनुसंधान एवं प्रतिक्रिया, जवाबदेही, संशोधनीय का अधिकात्म उपयोग और मानव अधिकारों के मानक के अनुपालन की तुलना में संघालनात्मक कार्य कुशलता, सोक क्षमता, पीड़ित व्यक्तियों की संतुष्टि ,
- | |
|---|
| (ग) पहचान और निर्धारित किये गये नियादन सूचक और पुलिस को उपलब्ध एवं इसके नियंत्रण वाले संसाधनों के विरुद्ध राज्य में युत मिलाकर गिलावार पुलिस सेवा के संगठनात्मक कार्यों की रागीशा एवं मूल्यांकन । |
|---|

26. पानव अधिकारी के उत्तरण की विवादपूर्ण ।-

पुलिस कार्बोरेट एवं अधिकारीयों के विवर निम्नलिखित भावों से संबद्ध किसी विवादपूर्ण भी जोख मानवाधिकार संरक्षण अधिकारीय, 1993 के खड़ 21 के तहत गठित एवं पुलिस अधिकारी आयोग द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जारी होती :

- (i) पानव अधिकारी का उत्तरण, या दुष्प्रभाव : या
- (ii) ऐसो उत्तरण के निवारण में सापरवाही ।

27. पुलिस महानिदेशक भी शक्ति एवं उत्तरदायित ।-

राज्य पुलिस देखा के मुखिया के रूप में पुलिस महानिदेशक का निम्नलिखित उत्तरदायित होता :

- (k) सरकार द्वारा दिए गए नीतियों, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट और दार्ढी वेक्षण को फिराईत करना, और
- (l) इसकी व्यावस्थापना, प्रभावकारिता, संविनशीलता और जायबद्धी को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस देखा का संचालन, नियंत्रण एवं परिवर्तन करना ।

28. पुलिस महानिदेशक भी भविस्ट्रेट की शक्ति ।-

संपूर्ण सामग्र्य पुलिस जिला ने पुलिस महानिदेशक की भविस्ट्रेट भी शक्ति होनी लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकारीय सीमाओं के अध्ययन करेगा ।

29. दण्ड का प्रारंभण ।-

संविधान के अनुच्छेद 311 के उपर्योग और ऐसे नियमों के अध्ययन वेदा कि सरकार समय-समय पर इस अधिकारीय के अधीन रहनाये, पुलिस महानिदेशक, पुलिस गठनीरीकार, पुलिस उप-गठनीरीकार और जिला पुलिस अधीकार अधीकारीय घोटे के विस्ती पुलिस अधिकारी को विस्ती भी समय बरखास्त, नियमित या प्रावधान या स्थेत्रों जो उनकी राय में अपने कर्तव्य का दुरुपयोग या अपने कर्तव्य के विवरण में उपलग करना हो या इसके

लिए अपेक्षा हो अथवा अधीनस्थ घोटे के देशे विनाशी अधिकारी को, जो अपने कर्तव्य के विवरण में सापरवाही बरतता हो या इसकी उपेक्षा द्वारा हो या अपने विस्ती कार्य से अपने कर्तव्य के विवरण के लिए स्वयं को अपेक्ष्य बना लेता हो, निम्नलिखित में से बोई एक या एक से अधिक दण्ड के साथी:

- (क) जुमांगा जो एक माह के वेतन से अधिक नहीं होगा;
- (ख) द्वितीय, अतिरिक्त गार्ड, कठोर यात्रा या अन्य कार्य जैसे दृढ़ सहित या रहित ब्लाटर में परिवेष निम्नही अधिक पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी;
- (ग) स्वास्थ्य वेतन से वंचना;
- (घ) विस्ती प्रतिवित पद या विशेष परिधियाँ से निष्कर्षन या वंचन ।

30. स्वानान्तरण एवं रैनली ।-

- (i) परिवेशीय घोटे के पुलिस अधिकारीय एवं कार्यकों या स्वानान्तरण और रैनली वर्षे संचालन नियम और सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये अन्य नियमों से नियंत्रित होंगे।
- (ii) अधिकारीयों वा कार्यकाल साधारणतः वो वर्षों का होगा लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसे विस्ती अधिकारी यों उसके पद से दो वर्ष और अधिक के कार्यकाल की सम्भावि के पूर्व भी 'स्वानान्तरित' किया जा सकता है:
 - (क) विस्ती उच्चतर पद पर ब्रोन्झि, या
 - (ख) दोष विद्धि अध्यया विस्ती यांडिक अपराध में विस्ती न्यायालय द्वारा लगाये गये आरोप, या
 - (ग) वह शारीरिक या नानास्थ रोगों वे कारण या विस्ती अन्य कारण से अवस्था हो और अपने कर्तव्यों के विवरण करने में असमर्थ हो, या

- (घ) प्रैन्सी, स्थानान्तरण या रेला-नियुक्ति के कारण हुई विविध को भरने की आवश्यकता;
- (इ.) अन्य प्रशासनिक कारण जो वर्तमानों के दक्षतापूर्ण निर्वाचन के लिए में हो।

अध्याय IV

पुलिस की भूमिका, कार्य, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व।

31. पुलिस की भूमिका, कार्य, कर्तव्य।-

पुलिस की भूमिका तथा कर्तव्य स्वयं स्वयं से निष्पत्तिप्रिय हैगी :

- (क) निष्पत्ति स्वयं लेकर बानुन का समर्थन करना तथा उसे समृ भरना और जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, मानव अधिकारों सहित ज़हागानत के सदर्शों की गरिमा का संरक्षण करना;
- (ख) लोक ज्यवरथा को बनाए रखना तथा उसका संवर्धन करना;
- (ग) आंतरिक गुरुथा की रक्षा करना, आंतरकादी गतिविधियों, राष्ट्रप्रशासिक सद्भाव को भंग करने वाली गतिविधियों, उच्चादी गतिविधियों तथा आंतरिक गुरुथा को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों को रोकना तथा नियंत्रित करना;
- (घ) उपद्रव, हिंसा या विस्ती अन्य प्रकार के हमलों से सड़कों, रेलवे, पुलों, गदरबार्न अवसरपनाओं तथा स्थापनाओं जादि सहित सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना;
- (ङ) अपनी निवारक कार्रवाई एवं उपयोग से अपराधों को रोकना और अपराध करने के अवसरों को बम करना तथा अपराधों को रोकने के लिये की जानेवाली कार्रवाई में अन्य संगत एजेंसियों को सहायता और सहयोग करना;
- (च) व्यवितरण स्वयं से सूचक या उसके प्रतिनिधि द्वारा उनके समझ साई गयी अथवा डाक, ई-मेल, या अन्य माध्यमों से प्राप्त तभी सूचनाओं को ठीक-ठीक दर्ज करना और सूचनाओं की प्राप्ति की पायती देकर उस पर सत्तात अनुबत्ती कार्रवाई करना;
- (छ) ऐसी सूचना या अन्य माध्यमों से उनके ध्यान में लाए गए शमनीय अपराधों को दर्ज करना तथा उनकी जांच करना और प्रधान सूचना

- रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यिर को सम्बद्ध रूप से उपलब्ध कराना तथा जहाँ उचित हो, अपराधियों को गिरफ्तार करना और उनके अभिसेकन वे अपेक्षित सहायता प्रदान करना,
- विभिन्न समुदायों में सुरक्षा की भावना प्रदान करना और उसे बनाए रखना और जहाँ तक संभव हो रखने को रोकना और गाईधारे को बढ़ावा देना,
 - प्रथम प्रतिक्रिया प्रदर्शित करनेवाले एवं रूप में प्रकृतिक या मानव द्वारा सृजित आपदाओं में लोगों को राखी संभव सहायता उपलब्ध कराना और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में अन्य एजेंसियों को सहित सहायता उपलब्ध कराना;
 - ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना जिन्हें शारीरिक हानि या सम्पत्ति के नुकसान का घटना हो सका विपरीतवर्त व्यक्तियों को जावशक सहायता एवं राहत उपलब्ध कराना,
 - व्यवितरणों तथा बाहनों की सुल्बारिथत आवाजाही की सुविधा प्रदान करना तथा सड़कों एवं राजमार्गों पर यातायात को नियमित और विनियमित करना,
 - लोक शांति तथा सभी प्रकार के अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध मामलों से संबद्ध लोगोंन्तर जमा करना तथा उसपर स्वयं समुचित रूप से कार्रवाई करने के अलावा, ऐसी जासूचना सभी संबद्ध एजेंसियों के साथ उसका आदान-प्रदान करना,
 - डयूटी-निभा रहे एक पुलिस अधिकारी की तरह दावा रहित सभी संपत्ति को, अपने कब्जे में लेना और नियंत्रित प्रक्रिया के अनुसर उसकी सुरक्षा अभिरक्षा और निपटान के लिए कार्रवाई करना,
 - लोक प्राधिकारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराना,
 - ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों को सामान्य और ऐसे उत्तरदायियों का निर्वहण करना जैसा कि सरकार द्वारा अधिक तत्त्वाभ्य प्रबुत्त किसी

विधि के अधीन ऐसा नियंत्रण करने के लिए सक्षित प्रदत्त किसी प्राधिकारी द्वारा उन्हें आदेश दिया जाय,

- धने में आदी अपराधियों एवं दोषित अपराधों में सलिला व्यक्तियों का रेकार्ड रखना और उसे प्रदर्शित करना।

32. पुलिस अधिकारियों द्वारा डायरी का रखा जाना।-

दाना के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होना कि वह सरकार द्वारा सम्बद्ध-समय पर नियंत्रित कार्रम में सामान्य डायरी रखे तथा उनमें सभी सुरक्षा तथा लगाये गए आरोप, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के नाम, मुख्यिर के नाम एवं अपराध, उनके कब्जे से लिये गए इधियार या सम्पत्ति अथवा अन्य सामान और गवाहों के नाम जिनकी जांच की गई हो दर्ज करें।

जिला नियरेट्रेट वो ऐसी डायरी की गांग तथा निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

33. पुलिस के सामाजिक कर्तव्य।-

प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा:

- जनता के रादर्यों और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों से साथ व्यवहार करते समय शालिनता एवं नम्रता से पेश आए;
- जनता के रादर्यों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, नरीयों तथा दीनार्थीयों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, जो सङ्केत या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अपने आप को असहाय पाते हैं या अन्यथा सहायता और संरक्षण चाहते हैं- का मार्गदर्शन करना और सहायता देना,
- अपराध और सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें बिना किसी विकिरसातीय विधिक औपचारिकताओं के खासकर यह सुनिश्चित करना कि उन्हें तत्काल

विभिन्न सहायता उपलब्ध हो और उनके मुआवजे तथा अन्य कानूनी दावों में सहायता करना;

- (d) सभी परिस्थितियों में खासकर विभिन्न सम्बद्धों, गर्भों, जातियों तथा राजनीतिक दलों के बीच समर्थ के दीरान यह सुनिश्चित करना कि अत्यसंघर्षों सहित कमज़ोर घर्मों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखते हुए, पुलिस का आचरण निष्पत्ता तथा मानवीय अधिकारों के सिद्धान्तों के अनुसर हो,
- (e) छिपकर, आपत्तिजनक दाव-भाव एवं इशारा या टिप्पणी करने का उत्तीर्ण पहुंचाने सहित सार्वजनिक स्थानों तथा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं तथा बच्चों के उत्तीर्ण को रोकना;
- (f) किसी व्यक्ति या संगठित दल द्वारा अपराधिक एवं शोषण के विरुद्ध जनता के सदस्यों, खासकर महिलाओं, बच्चों और गरीब एवं दीन हीन व्यक्तियों की सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराना, और
- (g) अधिकारा में रखे गये प्रत्येक व्यक्ति यो कानूनी स्वर से मान्य आत्मर एवं आश्रय या प्रबंध करना तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को सरकार से उपलब्ध होने वाली कानूनी सहायता योजना के प्रावधानों की जानकारी देना और इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों को भी सूचित करना।
- (h) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णीत किसी अन्य कर्तव्य एवं उत्तराधारियों का पालन एवं निर्वहन करना।

34. आकर्षित परिस्थितियों में कर्तव्य ।-

- (1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रक्रियात कर विनिर्दिष्ट अद्यति के लिए किसी विनिर्दिष्ट सेवा को समुदाय की अनिवार्य सेवा घोषित कर सकेगी, जो आवश्यकतानुसार अधिसूचना प्रक्रियात कर समय-समय पर विस्तारित की जा सकेगी।

(2) उपर्योग (1) के तहत की गई प्रौद्योगिकी के लागू रखने तक प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वही प्रौद्योगिकी में विनिर्दिष्ट सेवा के संबंध में अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गये अदेश का अनुपालन करे।

35. वरीक पुलिस अधिकारी द्वारा विसी अधीनसत अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन ।-

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा विसी अधीनसत अधिकारी को यहाँनुन या विधिवत आदेश द्वारा रोपे गये किसी गलतीय का निर्देश कर अपना दावा जाने अधीनसत अधिकारी के कार्यों में सहायता, समर्थन करेगा, अपने अधीनसत अधिकारी या विधिवत स्वयं से अपने कराने या प्राधिकार के तहत कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों का अधिकमण या व्यवाह करेगा, जब कभी विधि यो पूर्णतः या सुलभ रूप से प्रभावी बनाना आवश्यक या अपरिहार्य प्रतीत हो ।

अध्याय V

जांच में विज्ञान एवं प्रैदीगिकी का प्रयोग करते हुए अपराधों की प्रमाणी जांच ।

36. विशेष जांच इकाईयों का गठन ।-

सरकार अपराध प्रमाणी थोड़ों में विशेष अपराध जांच इकाईयों का गठन कर सकती गिरावक अव्यवहार सम्बन्ध सर्वर्ग के पुलिस विवर निरीकाक से नीचे की कोटि का अधिकारी नहीं होगा जिसके राख आर्थिक और जनन्य अपराधों की जांच के लिए व्यवस्थक संस्था में अधिकारी एवं स्टाफ होगे । पुलिस भवननिदेशक की लिखित अनुमति से अति विशिष्ट परिस्थितियों के रिकाय इस इकाई में तैनात किये गये कर्मियों को अन्य जांचों में नहीं लगाया जाएगा ।

37. विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों का चयन ।-

विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों का चयन उनकी अधिस्थिति, व्यावसायिक दक्षता एवं निष्ठा के आधार पर किया जाएगा । जांच राजनीक, विशेषकर जांच एवं अपराध विज्ञान तकनीक से संबंधित विज्ञानिक उपरकरों के प्रयोग का विशिष्ट प्रशिक्षण देखर उनकी व्यावसायिक दक्षता का सम्पन्न-सम्पन्न पर उन्नयन किया जाएगा ।

38. विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल ।-

विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्षों का होगा जिसके बाद उन्हें कानून एवं व्यवस्था तथा अन्य कार्यों में बारी-धारी से लगाया जाएगा ।

39. विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों के कार्य ।-

(1) विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारी, जिला पुलिस अधीकाक द्वारा विशेष रूप से शोधे गये अन्य मामलों के अलावा हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकेती, लूट, देहज रावणी अपराध, घोखायड़ी,

तुर्दिनियोजन एवं अन्य आर्थिक अपराध संबंधी मामलों की जांच करेंगे जैसाकि पुलिस भवननिदेशक द्वारा अधिसूचित किये गये हों ।

(2) अन्य सभी अपराधों की जांच, ऐसे पुलिस थानों में तैनात अन्य स्टाफ द्वारा की जाएगी ।

40. विशेष अपराध के मामलों की जांच का पर्यवेक्षण ।-

संबद्ध थानाध्यक्ष (स्टेशन हाउस ऑफिसर) के पर्यवेक्षण में विशेष अपराध जांच इकाई कार्मिकों द्वारा आरंभ किये गये मामलों की जांच का पर्यवेक्षण जिला स्तर पर ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी जो पुलिस अपर अधीकाक से नीचे की कोटि का नहीं होगा, जो जिला पुलिस अधीकाक को रीये रिपोर्ट द्वारा अधिकारी की सहायता पर्याप्त उप पुलिस अधीकाक के रैक द्वे अधिकारियों द्वारा की जायेगी जो इस व्यवस्था ने गुणवत्ता पूर्ण जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किये गये हैं :

लेकिन छोटे जिलों में जहां पर कार्य की मात्रा अपर पुलिस अधीकाक की तैनाती के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है, वहां पुलिस उप अधीकाक की कोटि के अधिकारी को इस प्रयोजन के लिए तैनात किया जायेगा ।

41. विशेष जांच प्रकोष्ठों का सृजन ।-

प्रत्येक पुलिस जिला मुख्यालय में आर्थिक अपराधों सहित गमीर एवं अन्य जटिल अपराधों की जांच आरंभ करने हेतु एक या अधिक विशेष जांच प्रकोष्ठों का सृजन किया जायेगा जिनमें उतनी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे जैसाकि राज्य सरकार उपरित समझे । ऐसे प्रकोष्ठ, पुलिस अपर अधीकाक के सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे ।

42. विशेष जांच प्रकोष्ठ हेतु विशेष रूप से अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन ।-

इस प्रकोष्ठ में तैनात किये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष रूप से चयनित एवं प्रशिक्षित भी किया जायेगा ।

43. आपराधिक जांच विभाग

राज्य का अपराध जांच विभाग अंतर्राजीय, अंतर जिला या अन्य गंभीर रखरख के अपराधों की जांच आरंभ करेगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय और नियोगित प्रक्रिया एवं मानदण्ड के अनुसरण में पुलिस सहायतेवाल द्वारा इसे विशेष रूप से संचालित जायें।

44. विशिष्ट जॉब कौशल :-

अपराध जांच विभाग में राइटर अपराध, संगठित अपराध, मानव हत्या संबंधी भासली, आर्द्धिक अपराधों और अन्य प्रकार के अपराधों की जॉब हेतु विशिष्ट इन्हाँसी होंगी, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये और जिसके लिए विशिष्ट जॉब कौशल अपेक्षित है।

45. अपराध जॉब विभाग में अधिकारियों का ध्यन :-

अपराध जांच विभाग में तीनत अधिकारियों का ध्यन उनकी अधिकृति, व्यावसायिक व्यवस्था, अनुभव एवं निष्ठा के जाशर पर किया जायगा। ध्यन के पश्चात उन्हें सम्मुख प्रश्नों दिया जायेगा तथा समुचित पुनर्व्यवस्था एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से समय-समय पर उनके ज्ञान एवं कौशल को उन्नत किया जायेगा।

46. अपराध जॉब विभाग में तीनत अधिकारियों का छार्फकाल :-

अपराध जांच विभाग में तीनत अधिकारियों का छार्फकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा, जबकि फिर सेक्षणवाले छिपे जाने वाले कारणों से उनमें से एक या एक से अधिक अधिकारियों को उनके पद से हटाना आवश्यक न हो।

47. विधिक सत्तान्वाल एवं अपराध विशेषज्ञ :-

जांच अधिकारियों का मार्गदर्शन करने, सुनाव ऐसे और सहायता करने के लिए अपराध जांच विभाग द्वारा शुरू किया गया एवं विधिक सत्तान्वाल एवं अपराध विशेषज्ञ उपलब्ध रहायें जायें।

अध्याय VI

प्रशिक्षण, अनुसंदेश एवं विकास।

48. प्रशिक्षण नीति :-

पुलिस व्यवस्था की वर्तमान एवं प्रत्यक्षित अपेक्षाओं के बीच में रखते हुए सरकार पुलिस के लिए एक प्रशिक्षण-संठ-वित्त नीति तैयार करेगी। प्रशिक्षण नीति का उद्देश्य पुलिस से संबंधित विषयों की जानकारी प्रदान करना, पुलिस कार्यक्रमों में व्यावसायिक (professional) क्षमताएं विकसित करना, सभी प्रशिक्षण जागृत करना और संविधानिक एवं नीतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा।

49. पुलिस कार्यक्रम की युक्तिलता एवं प्रशिक्षण :-

इस प्रशिक्षण नीति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस कार्यक्रम अपेक्षायें का युक्तिलतापूर्वक संपादन करने में प्रयोग स्वरूप एवं विशिक्षण के लिए जारी हों। जहाँ तक संभव हो, उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सफल भागीदारी को सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित ढीकायता तरीके से विभिन्न शैक्षि के पुलिस कार्यक्रमों की प्रवेन्ती तथा विभिन्न तैनाती के लिए उनकी तैनातियों से जोड़ा जाएगा।

50. प्रशिक्षण हेतु दुनियावी टॉचा एवं क्षमता का सुरक्षा :-

सरकार समय-समय पर विभिन्न शैक्षियों के पुलिस कार्यक्रमों की समग्र प्रशिक्षण, आवश्यकताओं के अनुसुधा उनकी प्रशिक्षण संस्थाओं के दुनियावी टॉचा एवं क्षमता का सुरक्षा और उन्नादन करेगी।

51. अनुसंदेश एवं विकास :-

सरकार उपर्युक्त कार्यक्रमों, नियम एवं अन्य संसाधनों के उपर्युक्त के साथ राज्य पुलिस अनुसंदेश एवं विकास व्यूहों की रचना कर सकेगी, ताकि उन विषयों और मरालों पर नियमित अनुसंदेश एवं विश्लेषण करे जिससे पुलिस के कार्यकारण एवं कार्य संपादन में सुधार हो सके। सरकार अन्य प्रतिक्रिया

संगठनों एवं संस्थाओं में पुलिस व्यवस्था से सुसंगत विषयों में विशेष अध्ययन एवं अनुसंधान भी प्रारम्भित कर सकेंगी।

52. पुलिस कार्य हेतु तकनीकी सहायता ।-

सरकार अपराध यीं जांच करने एवं पता लगाने और पुलिस व्यवस्था संबंधी अन्य कार्यों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता हेतु तकनीक विकासित करने के लिए भी समर्पित उपयोग कर सकेंगी।

53. राज्य पुलिस/अनुसंधान एवं विकास व्यूरो के कार्य ।-

राज्य पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

- (क) देश के भीतर या विदेश में अन्य पुलिस संगठनों द्वारा सफलतापूर्वक व्यवहार में लाये गये आधुनिकताम उपकरणों एवं नवीनतम प्रादोगिकी की जानकारी रखना तथा राज्य पुलिस द्वारा ऐसे उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी को अंगीकार किये या अन्यथा बाज़ में लाए जाने के संबंध में मूल्यांकन करना। इनमें ऐसे नवोन उत्पाद, अस्व-शस्त्र, दंगा निर्भरण उपकरण, यातायात नियन्त्रण उपकरण, पुलिस परिवहन तथा विभिन्न वैज्ञानिक एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरण शामिल हो सकेंगे जो अनुसंधान या पुलिस व्यवस्था विषयक अन्य कार्यों के लिए उपयोगी हों।
- (ख) भारत सरकार के पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो, अकादमियों, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संगठनों, संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं और संबंधित विषयक निजी हेत्र के उपकरणों के राद संपर्क एवं सहयोग करना,
- (ग) राज्य में पुलिस व्यवस्था की विशिष्ट एवं उभरती रूपरसाऊओं का अध्ययन करना ताकि उनका समाधान एवं उपचारी उपाय किये जा सकें,
- (घ) पुलिस व्यवस्था की विद्यमान प्रणाली को जोंच करना तथा पुलिस के कार्यकरण को अधिक कुशल एवं प्रतिहित्याशील बनाने के लिए पुलिस

में हिले जानेवाले दाँबारात, संस्थानत एवं अन्य आग्रहक परिवर्तनों का सुधार देना, और

- (ङ.) राज्य पुलिस की आधुनिकीकरण एवं प्रशिद्धय नीतियों के प्रभाव का सम्बन्धी रूप से मूल्यांकन एवं प्रलेखन करना तथा इसके निष्कर्षों की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक एवं सरकार को देना।

अध्याय VII

54. विनियम, नियंत्रण एवं अनुशासन ।-

उन्न प्रस्तुति के अनुसार उन्नीसवें पुलिस महानियोदयक नियन्त्रिति के लिए ऐसे नियम, विनियम बनाएगा जबकि आदेश जारी करेगा जो इस अधिनियम अध्या वित्ती समय तानु अन्य किसी अधिनियम के प्रतिकूल न हो:

- (क) अपराध की रोकथाम एवं जांच;
- (ख) पुलिस संगठन तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा नियांदित किए गए पदवी वा विनियमन एवं नियोजन;
- (ग) पुलिस रोक एवं प्रवास किए जाने वाले शहरों, राज्य-सामाजन, परन्तु तथा अन्य संघनों का विवरण एवं ग्राहा निर्धारित करना;
- (घ) सभी रेलों एवं गेड़ी के अधिकारियों जो इयूटीव्हों सौपना तथा बह लटीका एवं शर्टी निर्धारित करना जिनके अध्यादीन वे अपनी-अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग एवं निर्भाव बरें;
- (ङ.) पुलिस द्वारा आगुआना एवं गूचना के संप्राप्ति एवं संचार को विनियमित करना;
- (ख) रखे जाने वाले रिकार्ड, रजिस्टर तथा प्रपत्र और विभिन्न पुलिस यूनिटों एवं अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत फैसले जाने वाली विवरणियों निर्धारित करना;
- (घ) पुलिस की सामाजिका: अधिक कुशल बहाना एवं उनके द्वारा शक्ति के दुरुपयोग तथा बर्टव्हों की उपेक्षा को रेकना ।

55. नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति ।-

सरकार पुलिस का विनियम, नियंत्रण और अनुशासन के लिए नियमदाती बनाएगी; परन्तु यह और कि, इस अधिनियम के अधीन नवा पुलिस इस्तक, बनाए जाने तक गर्तमान विद्यार और उत्तीर्ण रीन्य पुलिस इस्तक, 1933

और पुलिस हस्तक, तथा विद्यार नियमदाती, विनियम, अधिसूचनाएं, आदेश और परिपत्र जारी रहें, मानो के इस अधिनियम के अधीन उपर्युक्त हों ।

56. पुलिस अधिकारी राजेव डूटी पर ।-

(1) प्रत्येक अधिकारी जो, जो घुट्टी पर न हो अथवा निलंबित न हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, सदैव इयूटी पर रामान जाएगा और उसे किसी भी समय राज्य के द्वारा भी मान में बनात किया जा सकता है ।

57. पुलिस अधिकारी की लेनाती ।-

कोई नी पुलिस अधिकारी जब तक उसे समुचित रूप से प्राप्तिकृत न किया जाए, आपनी डूटी नहीं छोड़ेंगा वा नियुक्ति या लेनाती स्वतं से नहीं होती ।

रप्तीकरण: कोई अधिकारी, जो अधिकृत रूप से घुट्टी पर होने के कारण, ऐसी घुट्टी की समाचित पर बिना किसी लक्ष्यांगत विवरण से डूटी पर रिपोर्ट नहीं कर पाता है, तो इस द्वारा के लाई के अंतर्गत उसके बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने अपने पद के कर्तव्यों से खुद को विमुच कर लिया है ।

58. पुलिस अधिकारी द्वारा कोई अन्य रोजगार नहीं किया जाना ।-

इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कोई अन्य रोजगार या लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।

अध्याय VIII

पुलिस की जवाबदेही ।

आवारण के लिए उत्तरदायित्व ।

59. जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण ।-

- (1) सरकार, प्रत्येक जिला में, धारा 60 में उल्लिखित घावों के लिए "जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण" स्थापित करेगा;
- (2) जिला मणिस्ट्रेट जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के अध्यक्ष होगे और पुलिस अधीक्षक सदस्य और वरिष्ठ आपर जिला मणिस्ट्रेट/आपर समान्वित सदस्य सचिव होंगे ।

60. जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के कार्य ।-

- (1) जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:
 - (क) जिला पुलिस अधीक्षक से समय-समय पर प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के जरिए सहायक/उप पुलिस अधीक्षक से जीवे के रैक के अधिकारियों के विस्तृत "कदाचार" की शिकायतों संबंधी विभागीय जांची अध्यक्ष कार्रवाई की विधि को मौनीटरिंग करेगा;
 - (ख) यदि प्राधिकरण के विचार में, किसी मामले की जांच में अनावश्यक देरी हो रही हो तो प्राधिकरण उस जांच को तेजी से पूरा करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को उचित रालाह देगा;
 - (2) जब कोई शिकायतकर्ता "कदाचार" की अपनी शिकायत के संबंध में विभागीय जांच की प्रक्रिया में असाधारण देरी होने तो अध्यक्ष अनुशासनिक जांच करने वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने पर जांच के परिणाम से असंतुष्ट होकर मामले को प्राधिकरण के ध्यान में लाता है तो सहायक/उप पुलिस अधीक्षक से जीवे के रैक के विस्तृत विभागीय जांच की अधिकारी के विस्तृत "कदाचार" की शिकायत के संबंध में प्राधिकरण जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट में गा राकता है और आगे यही कार्रवाई के लिए उचित रालाह जारी

कर सकता है अध्यक्ष यदि अनावश्यक हो तो जिला पुलिस अधीक्षक ये उस मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से कराए जाने के निर्देश दे सकता है ।

परन्तु उपसंृक्षत उपचारा (1) और (2) में अनावश्यक उपचारों से यह नहीं समझा जाएगा कि ये जिला पुलिस अधीक्षक के अनुशासनिक, पदवीकारी और प्रशासनिक नियंत्रण का किसी प्रकार लात्करण करते हैं ।

61. जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की रिपोर्ट ।-

- (1) प्रत्येक जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण प्रत्येक फ़िलेडर वर्ष के समाप्त होने वाले एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सरकार के समय प्रस्तुत करेगा जिसमें अन्य घावों के साथ-साथ निम्नलिखित घावों का विवर होगा :
- (क) वर्ष के दौरान उसके द्वारा क्रमशः सरकार ये और जिला पुलिस अधीक्षकों को अद्वितीय "कदाचार" के मामलों की संख्या और प्रकार;
- (ख) वर्ष के दौरान उसके द्वारा मॉनीटर किए गए मामलों की संख्या और प्रकार;
- (ग) शिकायतकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों की विभागीय जांच से असंतुष्ट होकर उसको भेजे गए "कदाचार" के मामलों की संख्या-एवं प्रकार;
- (घ) उपरोक्त (ग) में संदर्भित मामलों की रोख्या और प्रकार जिनमें उसके द्वारा पुलिस योगी की कार्रवाई करने के लिए सलाह अद्यता निर्देश जारी किए गए हों; और
- (ड.) पुलिस की जवाबदेही को बढ़ाने के उपायों से संबंधित सिफारिश ।

62. शिकायतकर्ता के अधिकार ।-

- (1) शिकायतकर्ता पुलिस व्यापिकों के किसी "कदाचार" के संबंध में अपनी शिकायत विभागीय पुलिस प्राधिकारियों या जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के पास देने करवा सकता है;

परन्तु यह कि यदि विकायत की विषय वस्तु वी किसी अन्य आयोग अथवा किसी न्यायाल द्वारा जांच की जा रही हो तो आयोग अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा ऐसी किसी भी विकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) विकायतकर्ता के जांच प्राधिकारी से सम्बन्ध सम्बन्ध पर जांच की प्रगति की सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही पूरी होने पर, विकायतकर्ता यो जांच के विषयों और नामाले में अंतिम कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र दी जाएगी।

63. नेकनीयती में की गई कार्रवाई का संरक्षण ।-

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नेकनीयती में किए गए अथवा किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, इसके राज्यरक्षा एवं कर्मचारियों, किसी पुलिस अधिकारी/पुलिस उत्तरदायित्व प्राधिकरण, इराके सदस्यों, कर्मचारियों या बोर्ड या प्राधिकरण के निर्देशन भे कार्य कर रहे किसी व्यक्ति अथवा जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरणों के सदस्यों अथवा कर्मचारियों के खिलाफ कोई मुकदमा अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई स्वीकृत नहीं होगा।

64. अशांत या घटरनाक जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना ।-

- (1) राजपत्र में अधिसूचित की जानेवाली उद्घोषणा द्वारा तथा सरकार द्वारा या निर्देशित अन्य रीति से सरकार के लिए अपने प्राधिकार के अर्थात् अनेकाले किसी देश के लिए यह घोषणा करना विधिपूर्ण होगा कि यह अशांत या घटरनाक स्थिति में पायी गई है अथवा ऐसे देश के निवासियों या उनके किसी चर्चा या समुदाय के आवरण से यह समीक्षन है कि पुलिस की संख्या बढ़ावी जाए।
- (2) उपरान्त, सरकार की स्थीकृति से पुलिस निर्देशक अथवा इस नियमित सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि यह यथा उपर्युक्त उद्घोषणा में विभिन्न देश में

सापारणसम्म नियत बल के अतिरिक्त किसी भी पुलिस बल को तैनात कर दहा रखे।

- (3) इस धारा की उपधारा (5) के उपर्युक्त के अध्यधीन, ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल की लागत उद्घोषणा में वर्णित देश के निवासियों द्वारा यहन किया जाएगा।
- (4) जिला नियंत्रित, ऐसी जांच कर जो वह उन्हें समझे, ऐसी लागत को उन निवासियों में प्रभावित करेगा जो उपर्युक्त के अनुसार उनका धड़न करने के भागी हों और जिन्हे अगली उत्तरवाही धारा के अन्तर्गत छूट न दी गई हो। ऐसा प्रभावन ऐसे देश के अन्तर्गत आने वाले निवासियों के अलग-अलग समाजों के आधार पर जिला नियंत्रित के निर्णयानुसार किया जाएगा।
- (5) सरकार के लिए, अदेश द्वारा ऐसे निवासियों में से किसी व्यक्तियों या चर्चा या समुदाय को ऐसी लागत के किसी भाग से छूट देना विधिपूर्ण होगा।
- (6) इस धारा की उपधारा(1) के अन्तर्गत जारी द्वितीय उद्घोषण में वह अधिक उल्लिखित की जाएगी जबतक यह लागू रहेगी, किन्तु इसे किसी भी समय धारणा या सकेगा या सम्बन्ध सम्बन्ध पर आगे की अधिक या अवधियों के लिए जारी रखा जा सकेगा जिसका कि सरकार इस मामले में उचित समझ और निरेश है।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोगनार्थ, “निवासियों” में द्विसे व्यक्ति स्वयं या उनके एजेंट या सेवक शामिल होंगे जो ऐसे देश के अन्तर्गत भूमि या अन्य अद्यत सम्पति व्यक्ति में रखते हों या धारण करते हों; ऐसे भूस्थानी स्वयं या उनके एजेंट या सेवक शामिल होंगे जो ऐसे देश में रेयती या व्यक्ति कारों से सीधे लगान वस्तुल करते हों, भले ही वे उस देश में वस्तुतः निवास करते हों अथवा नहीं। निवासियों में उस

देव के वास्तविक निवासी भी शामिल होंगे, भले ही वे भूत्यामी हों या न हों।

65. निवासियों अथवा भूमि में हितवश्व व्यक्तियों के कदाचार से उपहत व्यक्तियों को प्रतिकर प्रदान करना।-

- (1) यदि ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसके संबंध में पिछली पूर्ववर्ती धारा के अन्तर्गत अधिकृति कोई उद्घोषणा लागू हो, उस क्षेत्र के निवासियों या उसके किसी वर्ग या समुदाय के कदाचार के कारण या कदाचार से मत्यु या गंभीर उपहति या सम्पत्ति की हानि या क्षति हुई हो तो उस क्षेत्र के निवासी किसी ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कदाचार से उपहत होने का दावा करता हो, के लिए इस क्षति की तारीख से एक माह के भीतर अथवा यथा निर्धारित उससे कम अवधि के भीतर प्रतिकर हेतु उस जिला मणिस्ट्रेट या अनुमंडल मणिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र अवस्थित हो, को आवेदन देना विधिपूर्ण होगा।
- (2) तदुपरान्त, जिला मणिस्ट्रेट के लिए यदानवशक जोध करने के बाद सरकार की स्वीकृति से, निम्नलिखित कार्रवाई करना विधिपूर्ण होगा, वाहे अतिरिक्त पुलिस बल पिछली पूर्ववर्ती धारा के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र में रखा गया हो अथवा नहीं;
 - (क) ऐसे व्यक्तियों की पोषणा करेगा जिन्हें ऐसे कदाचार के कारण या उसके फलात्मक स्तर पहुंची हो;
 - (ख) ऐसे व्यक्तियों को भुगतान की जानेवाली प्रतिकर की राशि तथा उनके बीच उसे वितरण किए जाने की रीति निर्धारित करेगा, और
 - (ग) आवेदन से भिन्न, उस क्षेत्र के ऐसे निवासियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुपात का निर्धारण करेगा, जिन्हें अगलो उत्तरवर्ती उपधारा के अन्तर्गत भुगतान करने के दायित्व से सूट न की गयी हो परन्तु जिला मणिस्ट्रेट/ अनुमंडल मणिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन तबतक कोई धोषणा या निर्धारण नहीं करेगा जबतक कि उसके विचार

में यह न हो कि उपर्युक्त क्षति ऐसे क्षेत्र में हुए दो या गैर कानूनी सभा के कारण हुई है और यह कि जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है वह उन घटनाओं के लिए दोषमुक्त है जिससे ऐसी क्षति पहुंची है।

- (3) ऐसे प्रतिकर के किसी भाग को अदा करने के दायित्व से किसी व्यक्तियों को अथवा ऐसे निवासियों के वित्ती वर्ग या रामुदाय को मुक्त करने का आदेश देना सराकर के लिए विधिपूर्ण होगा।
- (4) प्रमंडल के आमुक्त या सरकार द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के अध्ययीन उपधारा (2) के अन्तर्गत जिला मणिस्ट्रेट द्वारा की गयी हरेक धोषणा या निर्धारण अथवा पारित आदेश, उपर्युक्त के सिवाय, अंतिम होगा।
- (5) जिस किसी क्षति के लिए इस धारा के अन्तर्गत प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया हो उसके संबंध में होई भी रिसिल याद चलाने योग्य नहीं होगा।
- (6) स्पष्टीकरण :- इस धारा में शब्द “निवासियों” से वही अभिप्रेत होगा जो पिछली पूर्ववर्ती धारा में उसके लिए दिया गया है।

अध्याय IX

सामान्य अपराध, दण्ड तथा उत्तरदायित्व,
गतिशील तथा सार्वजनिक इकाऊं में आवश्यक !

66. जन सभाओं तथा जलूसों का विनियमन ।-

(1) किसी सड़क, गली अथवा आम रास्ते पर जलूस का आयोजन करने अथवा किसी सार्वजनिक रथत पर सभा बुलाने का इरादा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में इरादी सूचना दे ।

(2) (क) कम से कम राहायक/उप पुलिस अधीक्षक रैक का कोई अधिकारी, जहाँ कहीं आवश्यक हो, किसी सार्वजनिक सड़क, गली अथवा आम रास्ते पर सभी सभाओं और जलूसों के संचालन का नियंत्रण दे सकेगा और ऐसे किसी जुलूस के गुजरने के लिए मार्ग एवं समय निर्धारित कर सकेगा ।

(ख) उसका समाप्तान हो जाने पर कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग किसी ऐसी सड़क, गली या आम रास्ता पर जनसभा आयोजित करने या बुलाने या जुलूस निकालने का इरादा रखता है जिससे जिला मणिस्ट्रेट की राय में या अनुमंडल मणिस्ट्रेट की राय में, अनियंत्रित रहने पर शांति भंग होने की संभावना हो तो सामान्य या विशेष नोटिस द्वारा ऐसी जनसभा आयोजित करने वाले या बुलानेवाले या ऐसी जुलूस का नियंत्रण या ग्रेटसाहित करने वाले व्यक्तियों से वह अपेक्षा भी करेगा कि वे लाइसेन्स के लिए आयेदन करे ।

(ग) ऐसा आयेदन किये जाने पर वह लाइसेन्स जारी कर सकेगा जिसमें लाइसेन्टधारकों का नाम और उन शर्तों का विवरित किया जायेगा जिन पर ऐसी जनसभा करने वा जुलूस निकालने की अनुमति होगी, परन्तु ऐसा कोई लाइसेन्स प्रदान करने के लिए कोई फीस नहीं ली जायेगी ।

(घ) गतियों में संगीत व त्योहारों और समारोहों के अवसर पर गतियों में किस हवे तक संगीत थजाये जा सकेंगे, इसका भी विनियमन कर सकेगा ।

67. निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाली सभाएं और जलूस ।-

(1) कोई मणिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इस नियम प्राधिकृत कम-से-कम अवर नियोगी एक  पुलिस अधिकारी, द्वारा 66 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाली सभा अथवा जलूस को रोक सकेगा अथवा जलूस के विसर्जन का आदेश दे सकेगा ।

(2) उपर्युक्त उप-धारा (1) के अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश को उपेक्षा करने अथवा पालन करने से इन्कार करने वाली किसी सभा अथवा जलूस को भारतीय दण्ड संकिता, 1860 के अध्याय XIII के तहत “गैर-कानूनी सभा” रमझा जाएगा ।

68. माइक्रोफोन आदि के उपयोग पर नियेष करने, प्रतिबंध लगाने, विनियमन करने या शर्तों लगाने की शक्ति ।-

(1) यदि जिला मणिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल मणिस्ट्रेट या मणिस्ट्रेट या अनुमंडल पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन के प्रधारी अधिकारी के विचार में लोगों के अथवा उसके किसी वर्ग के छोट या उनके स्वास्थ्य को शक्ति पहुंचाने से रोकने के प्रयोजन के लिए या लोगों की शांति और प्रशांति बनाए रखने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो वह आदेश द्वारा अपनी अधिकारिता द्वारा किसी दोनों में अथवा ऐसे दोनों में किसी वाहन पर माइक्रोफोन, लाइटरसीकर या मानवध्वनि विस्तारक किसी अन्य उपकरण को बजाने अथवा संगीत अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक को बजाने का नियेष या प्रतिबंध लगा सकेगा या उसका विनियमन कर सकेगा अथवा उनके उपयोग या संचालन पर शर्तों लगा सकेगा,

(2) सरकार, स्वप्रेरणा से अथवा व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर, उपधारा (1) अन्तर्गत किए गए किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा या उसमें फेर-बदल कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा।

(3) कम-से-कम अबर निरीक्षक रैक का पुलिस अधिकारी उपधारा-(1) के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश या उपयारा-(2) के अन्तर्गत सरकार द्वारा उपान्तरित या फेर-बदल किए गए ऐसे किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठा सकेगा या ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो व्यक्तियत एवं आवश्यक हो तथा आदेश का उल्लंघन कर उपभोग में लाए जा रहे या संचालित किए जा रहे किसी माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर या अन्य उपकरण को जब्त कर सकेगा।

(4) उपधारा-(3) के अन्तर्गत माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर अथवा अन्य उपकरण जब्त करने वाला पुलिस अधिकारी साथ ही वैसे किसी वाहन को भी जब्त कर सकेगा जिस पर ऐसा माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर या अन्य उपकरण उस समय ढोया जा रहा हो या ले जाया जा रहा हो या रखा जा रहा हो,

परन्तु उस पुलिस स्टेशन का कम-से-कम अबर निरीक्षक रैक का पुलिस अधिकारी, जिसकी सीमाओं के भीतर वाहन जब्त किया जाता हो, ऐसे वाहन को पांच हजार रुपये से अनधिक की ऐसी राशि, जो वह उचित समझे, के वाहन मालिक द्वारा सरकार के पक्ष में निष्पादित इस बांड पर छोड़ राखेगा कि जांच या विचारण के समय वाहन प्रस्तुत करेगा और यदि उपधारा-(5) के अन्तर्गत अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाए तो वाहन अभ्यर्पित करेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल मजिस्ट्रेट या किसी मजिस्ट्रेट या किसी अनुमंडल पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपधारा-(1) के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश अथवा उपधारा-(2) के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथा उपान्तरित या फेर-बदल किए गए ऐसे किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट

के समक्ष सिद्ध दोष ठहराए जाने पर एक हजार रुपये तक के जुमनि का दायी होगा और इस घार के अन्तर्गत अपराध या विचारण करने वाला न्यायालय उपधारा-(3) के अन्तर्गत जब्त किसी माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर या अन्य उपकरण के या उपधारा-(4) के अन्तर्गत जब्त या उस उपधारा के परन्तु के अन्तर्गत छोड़ गए वाहन के अभ्यर्पण का निदेश भी दे सकेगा।

(6) इस घार के उपर्युक्त इस अधिनियम को विसी अन्य घार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त होगा न कि उन शक्तियों का अल्पीकरण करेगा।

69. सार्वजनिक सङ्कों पर व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश।-

जिला पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, रास्ते से गुजरने वाले व्यक्तियों की बाश, चोट अथवा परेशानी तथा प्रदूषण को रोकने के लिए, सार्वजनिक सङ्कों और गलियों, आम रास्तों अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनता को उचित निर्देश देगा।

70. आदेशों अथवा निर्देशों की अवासा करने के लिए दण्ड।-

धारा- 69 और 71 के तहत जारी कानूनी आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्ति को निरफूतार किया जा सकेगा और मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर दस हजार रुपये तक के जुमनि का दायी होगा।

71. सार्वजनिक स्थलों को आरक्षित करने तथा अवरोध खड़ा करने की शक्ति।-

(1) जिला मजिस्ट्रेट सार्वजनिक सूचना के माध्यम से विसी गली या अन्य सार्वजनिक स्थल को सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अस्थायी रूप से आरक्षित रख सकता है तथा ऐसे आरक्षित क्षेत्र में विनियिक शर्तों को छोड़कर अन्य रियल्टि में लोगों की आवाजाही को प्रतिवर्धित कर सकता है।

(2) (क) जिला मजिस्ट्रेट मार्गों एवं गलियों में वेरियर एवं अन्य आवश्यक दाँबों की स्थापना के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है ताकि वाहनों की जॉच-पड़ताल की जा सके अथवा वाहन मालिकों द्वारा किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन रोका जा सके।

(क) ऐसा आदेश देते समय जिला मणिस्ट्रोट द्वारा राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उड़ाए जाने वाले आवश्यक कदमों का भी निर्णय किया जाएगा।

(ग) इस अस्थायी दोषों को इनकी रक्खापना उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात् हटा दिया जाएगा,

पुलिस के विरक्त होने वाले अपराध।

72. पुलिस कार्य में रुकावट।

योई भी व्यक्ति, जो उदित अधिकारी द्वारा कर्तव्य नियंत्रण और उसके कार्यों में रुकावट पैदा करता है उसे दोष सिद्धि पर अधिकन्ते-अधिक पांच दिनार स्पर्य तक के जुमनि या अधिक से अधिक तीन माह की साथारण केवल या दोनों की सजा दी जा सकती है।

73. पुलिसवर्षी का अनाधिकृत प्रयोग।

कोई भी व्यक्ति, जो पुलिस सेवा का सदर्श्य नहीं है तथा सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राप्तिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना पुलिस वर्दी या कोई भी ऐसी वेशभूषा जो पुलिस वर्दी जैसी विवरती हो अथवा जिस पर पुलिस वर्दी का कोई खास चिन्ह हो, धारण करता है तो उस व्यक्ति को दोष सिद्धि पर अधिक-से-अधिक छह मास या साथारण कारावास अथवा अधिक-से-अधिक दस दिनार स्पर्य तक के जुमनि या दोनों की सजा दी जाएगी।

74. अदावाकृत सम्पत्ति योगी पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभार में हो लिया जाएगा और मणिस्ट्रोट के आदेशों के अध्यधीन उसका निपटान करेगा।

हरेक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अदावाकृत सम्पत्ति को अपने प्रभार में ले ले और उसकी सूची बनाकर जिला मणिस्ट्रोट को दे दे। पुलिस अधिकारी ऐसी सम्पत्ति के निपटान के संबंध में उन आदेशों से मार्गदर्शित होगे जो जिला मणिस्ट्रोट से प्राप्त करेंगे।

75. मणिस्ट्रोट सम्पत्ति निरोप में रख रक्कता है और उद्योगपाणा जारी कर सकता है।-

(1) जिला मणिस्ट्रोट सम्पत्ति निरोप में रख सकेगा और उद्योगपाणा जारी कर सकेगा जिसमें उन वस्तुओं को शिनारिंग करेगा जिसका बह ही तथा उसके संबंध में योई दावा करने वाले विनी व्यक्ति से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी उद्योगपाणा की सारीत ने घड़ त्रिः के अन्तर्गत उपस्थित होकर उसके संबंध में अपना अधिकार रिक्त करे।

(2) इस धारा में निर्दिष्ट सम्पत्ति के भवित्व में लालू मणिस्ट्रोट, 1973 (1974 का 2) की धारा 457 के उपर्युक्त लागू होगी।

76. यदि कोई दावा करने वाले न आए हो सम्पत्ति या अग्रिहण करना।-

(1) यदि अनुमति अवधि के बीतर कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति या दावा न करे या यदि ऐसी पूर्ववर्ती धारा की उपचरा (2) के अन्तर्गत पहले ही उसकी विकी न की गयी हो और यदि इसकी विकी की जाए हो ऐसी विकी जिला मणिस्ट्रोट के आदेशों के अन्तर्गत ही जाएगी।

(2) पूर्ववर्ती उपचारा के अदीन वेदी गयी सम्पत्ति के दिक्ष्य आगम तथा जिस सम्पत्ति या दावे दावा करने वाला सावित न हुआ हो उसकी धारा 26 के अन्तर्गत की गयी विकी से पाप्त आगम सरकार के निपटान के अधीन होगा।

77. पुलिस अधिकारी न रहने पर नियुक्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को डिसीबर करने से मना करना।-

यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी न रहने पर अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा उसे कार्य निष्पादन हेतु प्रदान किए गए बस्त, साज-सामान तथा अन्य सामग्री सम्पत्ति बापस नहीं करता तो मणिस्ट्रोट द्वारा सिद्ध दोष लहराए जाने पर दस दिनार स्पर्य तक के जुमनि या दायी होगा।

78. पुलिस द्वारा किए जाने वाले अपराध ।-

हरेक पुलिस अधिकारी, जो कर्तव्य की अवहेलना करने अथवा सदम प्रधिकार द्वारा बनाए गए विधिपूर्ण व्यवस्था के किसी नियम या विनियम की उपेक्षा करने का दोषी होगा अथवा दिना अनुमति के अध्या दिना पूर्व सूचना के दो माह तक की अवधि के लिए अपने पटोंय कर्तव्यों का रखन करेगा अथवा जो छुट्टी पर अनुपस्थित रहते हुए, दिना उचित कारण के ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर अपने कर्तव्य पर रिपोर्ट करने में विफल रहेगा अथवा दिना प्राधिकार के अपने कर्तव्य से दिन विस्तीर्ण नियोजन में सोनगा अथवा जो कामरता का दोषी होगा अथवा जो अपने अधिकारी वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई अनधिकृत व्यवितरण हिसा करेगा, वह दोषसंदिक पर तीन माह के बेतन तक के जुमनि से या तीन माह तक के कठोर श्रम के साथ या उसके दिना, कारावास का या दोनों का नामी होगा,

79. जनता द्वारा किए जाने वाले अपराध ।

(1) कोई भी व्यक्ति को जिरा मनिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किसी केन्द्र या सीमा में आनेवाली किसी सङ्कर या गली या आग रास्ते अथवा किसी छुले स्थान पर वहाँ के निवासियों या राहगोरों को असुविधा, रोक या खतरा पैदा करने वाला निम्नलिखित अपराध करना हो तो उसे दोषसंदिक पर अधिक से अधिक पांच डणार रूपये जुर्माना लगाया जाएगा :

(क) पशु को खुला छोड़ता हो अथवा किसी पशु अथवा किसी प्रकार के बाइन को सामान उत्तरने या बढ़ाने तथा यात्रियों को बढ़ाने एवं उत्तरने के लिए अपेक्षित समय से अधिक समय तक बढ़ा रखता हो अथवा किसी बाहन को इस ढंग से खड़ा करता हो जिससे लोगों को असुविधा या खतरा हो,

(ख) नदी में या उपदर्यो पाया जाता हो;

(ग) अपनी निगरानी अथवा अधिकार में अने वाले कुएं, टैक, घट अथवा अन्य धृतरानाक स्वल्प या हाथे ने धारों और बाड़ लगाने या उसके

उचित संरक्षण में लापरवाही करता हो, अथवा सार्वजनिक स्वल्प पर किसी अन्य ढंग से बाधक विधि उत्पन्न करता हो ;

(घ) सम्पत्ति के अधिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना धीरों, भवनों अथवा अन्य क्षेत्रों को विस्तृप्त करता हो या उनपर सूचनाएं विषयता हो या नहीं लिखता हो ;

(इ.) सरकारी भवन, भूमि अथवा उससे जुड़े मैदान अथवा किसी सरकारी बाहन में दिना पर्याप्त कारण के स्वेच्छा से प्रवेश करता हो ;

(ब) पुलिस, फ़ायर डिपेंड अथवा अन्य अधिकारी सेवाओं को भ्रम में डालने के लिए जानबूझकर अफवाहें पैलाता हो या शूटी घेतावनी देता हो ; अथवा

(द) किसी भी जन घेतावनी प्रणाली से जान बूझ कर नष्ट करता हो या उसके शोषणस्त करता हो;

(ज) जनता के बीच आतंक फैलाने के लिए जान-बूझकर तथा स्वेच्छा से आवश्यक सेवा को धृति पहुंचाता हो ;

(झ) किसी भी सरकारी भवन में सधम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए नोटिस का उल्लंघन करता हो ;

बताते हैं कि पुलिस संविधित कार्यालय के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गयी विचारपत पर इस अपराध की ओर ध्यान दें ;

(ञ) अमाद प्रस्तावों अथवा संप्रेतों या लुक डिपकर पीछा करने के कारण किसी भाईता को प्रेरणा करना;

बताते हैं कि पुलिस केवल पीड़ित द्वारा की गयी विचारपत पर इस अपराध का संज्ञान है ।

(2) किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति, जो उपचारा (1) में उल्लिखित किसी भी अपराध को करता हो, को डिरासत में लेना अधिकारी के लिए विधि सम्मत होगा, परन्तु इस प्रकार डिरासत में लिया गया व्यक्ति व्यवितरण मुच्चलका देने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा ।

क्रियाविधि मामले

80. दिशानिर्देशों एवं सार्वजनिक सूचनाओं को विपक्षने संबंधी प्रक्रिया ।-

(1) इस अध्ययन के तहत जारी सभी सामान्य दिशानिर्देश, विनियम तथा सार्वजनिक सूचनाएं रखानीय हैं एवं प्रभावित रथान के जिला भजिस्ट्रेट, अनुमंडल, प्रज़ञ्चल/अंद्रल कर्बालाय एवं पंचायत कार्यालय में सूचनाएं विपक्षकर तथा ऐसे भवनों एवं स्थलों, जो विशेष रूप से सूचना से संबद्ध हों, के निकट सुस्थित स्थानों पर सूचना की प्रतियां लगाकर अथवा इम बजाकर इस सूचना की घोषणा करके अथवा स्थानीय रानाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया में इसका विज्ञापन देकर अथवा किसी अन्य साधना द्वारा, जैसाकि पुलिस अधीक्षक उपद्रवत समझे, इनका प्रकाशन किया जाएगा;

वर्णनों कि, पुलिस अधीक्षक इस बात से संतुष्ट होने पर कि किसी विनियम को तल्लाल प्रभाव से लागू करना जनहित में है, विना पूर्व प्रकाशन के ऐसा निर्देश एवं विनियम बनाए।

(2) यदि इस धारा के तहत बनाए गए किसी निर्देश अथवा विनियम का संबंध किसी ऐसे मामले से हो जिसके संबंध में किसी नियम अथवा जन रायस्य संबंधी अन्य नगर एवं स्थानीय प्राधिकरण, इलाके की सुविधा अथवा सुरक्षा संबंधी किसी कानून, नियम या उप नियम में प्रावधान हो तो ऐसा विनियम, ऐसे कानून, नियम एवं उपनियम के अधीन होगा।

81. पुलिस अधिकारियों का अभियोजन ।-

जब कोई अपराधी पुलिस अधिकारी हो तो कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान सरकार द्वारा उक्त अपराध के तथ्यों पर लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने या इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्राप्तिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं होगा।

82. अन्य कानूनों के अन्तर्गत अपराधों का अभियोजन ।-

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-300 में निहित उपबंधों के अध्ययन, इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को इस अधिनियम

द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजित तथा दण्डित किए जाने से नहीं बचाएगा।

83. कुछ मामलों का संदिग्ध निपटान ।-

(1) कोई भजिस्ट्रेट धारा 72, 77 और 78 के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध का संशाल लेते समय, अभियुक्त को तामील किए जाने वाले सम्मनों पर यहौं कठ सकता है कि वह आरोप व्यापक सुनवाई के लिए नियंत्रित तारीख से पहले पंजीकृत पद द्वारा आरोप का दोषी होने वाला अभियवचन कर सकता है और न्यायालय द्वारा व्यानिधारित न्यायालय में जाना करवा दें।

(2) जब कोई अभियुक्त दोषी होने का अभियवचन करता हो और सम्मनों में उपधारा-(1) के अन्तर्गत नियंत्रित राशि जमा करवा देता हो तो इस व्यक्ति के लिलाक इस अपराध के संदर्भ में कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

84. भजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए दण्डों एवं जुर्मानों की वस्तुता ।-

किसी भजिस्ट्रेट के समवा दोष रिप्प होने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत लगाए जाने वाले दण्डों एवं जुर्मानों पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 64 से 70 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-386 से 389 तक के उपबंध लागू होंगे ;

वर्णनों कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 65 में कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद, इस अध्याय की धारा-73, 78 और 79 के अन्तर्गत लगाए किसी भी व्यक्ति को ऐसे जुर्माने का भुगतान न करने पर किसी भी अवधि के कारावास से दण्डित किया जा सकता है जो आठ दिन से अधिक नहीं होगी।

85. कार्रवाई की सीमा ।-

कोई भी न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-468 में उपबंधित सीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस अध्याय के अन्तर्गत किसी भी अपराध के लिए संज्ञान नहीं होगा। सीमा अवधि की गणना करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXVI के प्रावधान लागू होगी।

अध्याय X

विविध ।

86. शुल्क एवं पुरस्कारों का निपटान ।-

इस अधिनियम के अंतर्गत जारी लाइसेंसों या लिखित अनुमति हेतु सभी शुल्क और पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाईयों में सेवाओं के लिए भुगतान की गई सभी राशियां एवं उनी पुरस्कार, जब्तियां और दण्ड या उन सभी में हिस्सेदारी, जो कि कानूनी सीर पर मुख्यियों के स्वरूप में पुलिस अधिकारियों को देय हैं, के अतिरिक्त ऐसा कोई राश जो लागू हुए किसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित हो दें सरकार के जिम्मे होंगे ।

परन्तु यह कि सरकार के अनुमोदन सहित या उस संदर्भ में सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशेष सेवाओं हेतु किसी ऐसी पुरस्कार, जब्ती या आर्थिक दण्ड की सम्पूर्ण राशि या कोई भाग को किसी एक पुलिस अधिकारी या दो अथवा अधिक पुलिस अधिकारी के मध्य बंटा जाना हो ।

87. आदेशों एवं अधिसूचनाओं का प्रमाण देने की विधि ।-

इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार या किसी मैजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा प्रकाशित या जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना एवं उसके समुचित प्रकाशन या उसके संस्करण को उसकी सरकारी राजपत्र योग्य प्रति या उसकी प्रतिलिपि, जो उसी मैजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा छत्ताक्षरित हो तथा उनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह अधिनियम के लागू होने वाली धारा के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित या जारी किए गए मूल की घास्तविक प्रतिलिपि है, को प्रस्तुत किए जाने पर प्रमाणित किया जा सकता है ।

88. नियमों एवं आदेशों की वैधता ।-

इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के, जो उसके साथ पर्याप्त अनुसृता रखते हों के अंतर्गत बनाया गया या प्रकाशित कोई भी नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन या अधिसूचना एवं कोई भी निर्णय, की गई जोध या कार्रवाई स्वरूप में त्रुटि के कारण अवैध, अमान्य या रद्द समझी जाएगी ।

89. शक्ति प्रयोग करने में सहम यदों की रियतों का प्रभार संभालने या संभालने वाले अधिकारी ।-

जब कभी भी किसी आयुक्त, मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का पद रिक्त होने की परिस्थिति में कोई भी अधिकारी ऐसे आयुक्त, मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के कार्रवाई का प्रभार अस्थायी या रथायी स्वरूप से संभालता या संभालने वाला होता है तो ऐसा अधिकारी उन सभी शवितयों का प्रयोग करने तथा सभी यार्यों को करने के लिए सकाम होगा जो कि इस अधिनियम द्वारा घोषित प्रदल एवं लागू ऐसे किसी आयुक्त, मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रस्तुत किए जाते ।

90. लाइसेंसों तथा लिखित अनुमति में शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा वे छस्ताक्षरित किए जाने चाहिए ।-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी पत्रक लाइसेंस या लिखित अनुमति में अवधि एवं स्थान तथा उन शर्तों और प्रतिवन्धों का उल्लेख किया जाएगा जिनके अधारीन होते जारी किया गया है तथा इसे सकाम अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए । और उरामें ऐसे प्रमाणित शुल्क का भी वहों उल्लेख हो जैसा कि इस संदर्भ में इस अधिनियम के अंतर्गत किसी नियम के अनुसार निर्धारित किए गए हों ।

(2) लाइसेंसों का रद्द किया जाना । - इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए किसी भी लाइसेंस या लिखित अनुमति को किसी भी समय सकाम पदाधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द किया जा सकता है यदि इसकी किसी भी

शर्त या प्रतिशेष का उत्संघन या अपराधन उस व्यक्ति जागा किया जाता है जिसे यह लाइसेंस जारी किया गया है यह व्यक्ति ऐसे किसी भी मामले में जो कि लाइसेंस का अनुमति में निवित हो किसी भी अपराध या दोषी पद्धति जाता है।

(3) जब कोई लाइसेंस रद्द किया जाता है तो उस लाइसेंसदारी को लाइसेंस विहीन समझा जाएगा:

जब कभी भी ऐसे किसी लाइसेंस का लिखित अनुमति को निवित या रद्द किया जाता है अथवा जब कभी वह जाकर, जिसके लिए वह शारीरी की जाती है समाज हो जाती है तो उस व्यक्ति को जिसे यह जारी किया गया था, उसे इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों द्वारा लाइसेंस या लिखित अनुमति विहीन समझा जाएगा जब तक कि जैसा भी मामला हो उसे निवित या रद्द करने वाले आदेश को निरस्त न किया जाए या जब तक कि उसका नवीकरण न किया जाए।

(4) मगि जाने पर लाइसेंसदारी को लाइसेंस एवं अनुमति प्रस्तुत करना होगा। - प्रथेक व्यक्ति को जिसे ऐसा लाइसेंस का लिखित अनुमति प्रदान की गई हो उनके लागू रहने के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा मगि जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भी नोकर या अन्य एजेंट जो कि उस व्यक्ति के रखने पर कार्य कर रहा होता है जिसे लाइसेंस या लिखित अनुमति प्रदान की गयी है, द्वारा लिए गए उत्संघन या अपवर्दन या दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति, जिसे ऐसा लाइसेंस या लिखित अनुमति प्रदान की गई है, द्वारा किया गया उत्संघन या अपवर्दन, जैसा भी मामला हो, समझा जाएगा।

91. सर्वसाधारण नोटिस किस प्रकार दिया जाना चाहिए।-

इस अधिनियम के प्रयोजनों के अंतर्गत दिए जाने वाले सर्वसाधारण नोटिस द्वारा आदेशक है कि वह लिखित रूप में हो तथा साथ प्राधिकारी द्वारा

हस्ताक्षरित हो तथा प्राधिकारी द्वारा के प्रमुख स्थानों पर उसकी प्रतीक्ये लिखाके जाए ता तो ऐसे विवरका देखना भी जाए या उसे ऐसे सामग्री लिखाके जाए या उसे अधिकारी उचित सामग्रीरापत्रों - जिन्हीं या उन्‌या अधिकारी - जैसा भी प्राधिकारी उचित समझे प्रबलित फारम जाए या इनमें लिखी हो या उससे अधिक सामग्री द्वारा तथा ऐसे ऑफर भाबमें उनका समझ जाए द्वारा सर्वसाधारण के द्वारा तथा ऐसे ऑफर भाबमें उनका समझ जाए द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी में जाएगा।

परन्तु यह कि सर्वसं प्राधिकारी जिस पूर्ण प्रकाशन के ऐसे विवरण या विविध बना सकते हैं जब वे पूरी तात्त्व से संतुष्ट हो कि उसका प्रभाव तो कोई विविध बना सकता होगा।

92. सर्वसं प्राधिकारी की सहमति, उनके हस्ताक्षर से लिखित रूप में दिए जाने पर, प्रमाणित गारी या सकती है।

जब कभी भी इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ किया जाना या कुछ हस्ताक्षर जाना या किसी भी विविध समग्र प्राधिकारी की सहमति, हस्ताक्षर, लिखित अनुमति, नोटिस या अन्य दस्तावेज जो कि समन वा लाइसेंस, लिखित अनुमति, नोटिस या अन्य दस्तावेज जो कि समन वा वारंट या सर्वं वारंट न हो, पर राज्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा हो जाए तो साथ प्राधिकारी अनुमोदन, पोषण, मत या संतुष्टि के लिए पर्याप्त राज्य होगा।

93. नोटिसों पर हस्ताक्षर, मुहर रूप में भी हो सकते हैं। - इस अधिनियम या इसके अंतर्गत किसी नियम के तहत आदेशक द्वारा लाइसेंस, लिखित अनुमति, नोटिस या अन्य दस्तावेज जो कि समन वा वारंट या सर्वं वारंट न हो, पर राज्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा हो जाए तो सही तरीके से हस्ताक्षर किया गया समझ जाएगा जगर उस पर उनके हस्ताक्षर मुहर रूप में अंकित हो।

94. नियम बनाने की शक्ति। -

इस अधिनियम के प्रयोजनों के पूरा करने द्वारा सर्वान्वय नियम इन सकती हो।

95. कठिनाई से दूर करने की क्षमिता । -

(1) यदि इस अधिनियम के उपर्युक्तों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से ऐसे उपर्युक्त कर सकती है जिसे वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उचित समझती हो;

(2) इस धारा के तहत जारी प्रत्येक अधिसूचना के आरोपों के पश्चात् यथाशीघ्र यथोचित विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

96. राजपत्र में, नियमों एवं विनियमों की अधिसूचना और नियमों एवं विनियमों का प्रस्तुत किया जाना ।

(क) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम एवं विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत घने प्रत्येक नियम एवं विनियमन को घनने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समझ वैसे सब के द्वारा रखा जाएगा जो कुल तीस दिनों की अवधि की हो, जिसमें एक सब या दो या अधिक लगातार सब शामिल हो सकते हैं और यदि विसी सब या लगातार सब से पहले सब की समाप्ति से पूर्व, जैसा भी मामला हो, दोनों सदन नियम या विनियमन में किसी संशोधन हेतु सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हों कि नियम या विनियमन न बनाए जाएं तो तत्पश्चात्, जैसा भी मामला हो, वह नियम या विनियमन केवल संशोधित रूप में प्रभावी होगा या इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा तथापि ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम या विनियमन के तहत पूर्व भी की गई किसी बात की वैधता की क्षमि नहीं पहुँचाएगा ।

97. निरसन एवं व्यावृति । -

(1) पुलिस अधिनियम, 1861, जहाँ तक उसका संबंध विहार राज्य से हो, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) लंगाल रैन पुलिस अधिनियम, 1892 (1892 का V) जहाँ तक इसका संबंध विहार राज्य से हो, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, ऐसा निरसन के बावजूद, अधिनियम 1892 का V के अधीन सैन्य पुलिस अधिकारी के विद्यमान थेणी और येड तबतक विद्यमान रहेगे जबतक कि नया विहार सैन्य पुलिस हस्तक बना नहीं लिया जाता ।

(3) ऐसा निरसन के बावजूद इस नियम के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई या चलायी गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया कार्य या की गई कार्रवाई या चलायी गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के किसी भी अधिनियम के सभी संदर्भ, जिन्हें निरस्त किया गया हो, उसे इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ के रूप में लिया जाएगा ।

*प्रधानकार संसदीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
जब्ता अधीक्षक, राज्यवालय मुद्रणालय, विहार, पटना, द्वारा मुद्रित
विहार गजट (असाधारण), 279-लाइनो-571-690